387
14/9/12

खण्ड : 12 संख्या : 21, 22, 23, 24

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वादश सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 31 जुलाई 1989 ई०
मंगलवार, दिनांक : 01 अगस्त 1989 ई०
बुधवार, दिनांक : 02 अगस्त 1989 ई०
वृहस्पतिवार, दिनांक : 03 अगस्त 1989 ई०

किसी तरह से दरयाप्त कीजिंये कि किस तरह से हैंडकप किया गया। यदि अभी भी हैंडकफ हैं, तो उसे हटाया जाय।

अध्यक्ष : ऑलरेडी आदेश तो हो चुका है।

(इस अवसर पर विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया)

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण सूचनाएँ एवं उनपर सरकारी वक्तव्य।

(क) थाना प्रभारी द्वारा की गई अनियमितता की जांच

श्री बसंत सिंह : 5 मार्च, 1989 की संध्या को श्री संजय प्रताप सिंह, निवासी ग्राम चपैगाई (भोजपुर) जो सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार, स्व॰ सरदार हरिहर प्रसाद सिंह के पौत्र हैं जब बस से अपने गांव लौट रहे थे तब थाना प्रभारी, मुरार जो उसी बस से सवार थे जब बस मुरार थाने के पास पहुँची तब बस रोककर श्री सिंह को बस से उतार कर इसलिए उन्हें मारा और भद्दी गालियाँ दी, क्योंकि वे थाना प्रभारी के कई बार चलती बस में टोकने के बावजूद उनके लिए बस की अगली सीट खाली नहीं की। अतः किसी भद्र पुरुष के साथ इस तरह की निंदनीय घटना की गंभीरता की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस दिन यह कहा गया था, आई. जी. से जांच कराने की बात हुई थी, आई.जी. रें को 29 तारीख को आदेश दिया जा चुका है, इसकी जांच करने के लिए। इसलिए जांच करने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहना उचित होगा, चूंकि गंभीर बात उठायी गयी है और

साथ यह बात भूतपूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्व० सरदार हरिहर सिंह के पौत्र से संबंधित है, इसलिए सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और इसकी जांच का आदेश दिया है। इसलिए जांचोपरान्त हम सदन को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों को हम इसकी जानकारी करायेंगे।

श्री बसंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन होगा कि चूंकि यह एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से संबंधित प्रश्न है, वे लोग अच्छे परिवार से आते हैं, जांच तो होते ही रहेगी, कम-से-कम जनहित में, और लोगों की आस्था पुलिस में बनी रहे, इसके लिए कम से कम उस ऑफिसर को वहां से सस्पेंड करके, ट्रान्सफर किया जाय।

(इस अवसर पर बहुत से माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

सदस्यगण : तत्काल वहाँ से हटाया जाय, जांच कराया जाय।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने स्वयं कहा है, यह प्रश्न उस व्यक्ति से संबंधित है, जिस आदमी ने अपनी सारी जिन्दगी इस देश के लिए दिया, उनके परिवार से संबंधित है, इसलिए सरकार ने इसको गंभीतरा से लिया है, वैसी स्थिति में जो ऑफिसर को ट्रान्सफर करने के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं, मुझे एतराज नहीं है। आपका आदेश होगा तो मुझे ट्रान्सफर करने में कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष : आपने उत्तर में कहा कि इसकी तुरत जांच के लिए आदेश दिया है, अगर एक दो रोज में जांच की कार्रवाई

पूरी होकर रिपोर्ट आ जाय, तो उसपर तुरंत कार्रवाई कीजिये, सिर्फ ट्रान्सफर करना कोई सजा नहीं है।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ, चूंकि मेरा भी हस्ताक्षर इस ध्यानाकर्षण सूचना पर है। आपने ठीक ही कहा कि दो-तीन दिनों में इसकी जांच हो जाय, ठीक ढंग से जांच हो जाय, तो उस रिपोर्ट पर आप कार्रवाई करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते है। वह पदाधिकारी अगर वहाँ रहेगा, जिसके संबंध में जांच होनी है, तो जांच निष्पक्ष नहीं हो पायेगा। इसलिए हमारा यह आग्रह है कि जांच के पूर्व उस पदाधिकारी को उस जगह से हटा दिया जाय, तब जांच करायी जाए, तब निष्पक्ष जांच हो पायेगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, इनको जिला मुख्यालय में ज्वायन करायेंगे।

श्री संकटेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का सवाल पूर्व में उठाया था और वर्तमान मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे है।, उस समय कहा था कि इसकी जांच हो रही है, लेकिन आज तक कोई रिपोंट नहीं आयी, क्या इसमें भी ऐसे ही किया जायेगा ?

अध्यक्ष : अभी माननीय मंत्री स्पष्ट कह चुके हैं और उसके बाद फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रश्न को छोड़िये।

(ख) अभियंत्रण महाविद्यालय के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान

श्री मोतिउर रहमान : अध्यक्ष महोदय, राज्य के तीन अभियंत्रण महाविद्यालय क्रमशः इंडियन कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग